अति आवश्यक

क्रमांक 16/51/2021–3जी0एस0II

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में

1. हरियाणा सरकार के सभी प्रशासकीय सचिव।
2. हरियाणा सरकार के सभी विभागाध्यक्ष।
3. हरियाणा सरकार के सभी बोर्ड/निगम के प्रबन्ध निदेशक/मुख्य प्रशासक।

दिनांक चण्डीगढ 19.08.2021

विषयः– **पिछले सात वर्षो में विभिन्न विभागों में आउटसोसिंग पोलिसी भाग–॥ के तहत अनुबंध आधार पर लगे कर्मचारियों को हटाने का ब्यौरा प्रदान करने बारे।**

महोदय,

मुझे निर्देश हुआ है कि मैं उपर्युक्त विषय पर आपका ध्यान समसंख्यक पत्र दिनांक 16.08.2021 की और दिलाते हुये कहूं कि हरियाणा सरकार के विभिन्न विभागों में आउटसोसिंग पोलिसी पार्ट–॥ के तहत तथा हारट्रोन के माध्यम से अनुबंध आधार पर लगे कितने कर्मचारियों को पिछले सात वर्षो में नौकरी से निकाला गया है, की सूचना दिनांक 17.08.2021 दोपहर 12 बजे तक पहुचाने बारे अनुरोध किया गया था परन्तु कुछ विभागों/बोर्डो/निगमों से सूचना अभी तक प्राप्त नही हुई है। यह विशेष रूप से ध्यान में लाया जाता है कि सम्बन्धित मुद्दा 20 अगस्त 2021 से शुरू हो रहे विधानसभा अधिवेशन सत्र में उठने की पूर्ण संभावना है जिसका जवाब सरकार के स्तर पर दिया जाना है।

2. अतः आपसे पुनः अनुरोध किया जाता है कि जिन विभागों ने सूचना अभी तक नही भेजी है वह तुरन्त आज दिनांक 19.08.2021 को अपराह्न 3.00 बजे तक भेजना सुनिश्चित करें अन्यथा नही भेजने वालो के खिलाफ अनुशासनिक कार्यवाही की जायेंगी।

3. कृप्या इस अति तत्काल समझते हुए परम अग्रता प्रदान करें।

भवदीय,

Satbir Singh

अधीक्षक, सामान्य सेवाए–II
कृतेः मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।